

:

सेवा में, माननीय पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध विभाग, अहमदाबाद

खिलाफ़

1) दाबँक (Dabank)

संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयीन पत्ता २७२, Bath Street, Glas go G-2, 4 JR Scotland, U.K.
email: admin@dabank.online

2) सिसकॉम (Syscom)

संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयीन पत्ता २७२, Bath Street, Glas go G-2, 4 JR Scotland, U.K.
email: admin@dabank.online

3) श्री. रविंद्र देशमुख

4) श्री. राजन पालीवाल

5) श्री. राजेश पांडे

6) विनय प्रजापति मोबाइल 9998957435

7) ध्रुव विनय प्रजापति

7817879921

8) अख्तर हुसेन मंडल . सी वुड, नवी मुंबई मो.क्र. 7021242479

9) श्री. संजीव कटरे . नागपुर, महाराष्ट्र मो.नं. 7020255216 / 9096039769

10) श्री. दिपक महाजन . इचलकरंजी, महाराष्ट्र मो.क्र. 70203086390 / 7385455501

11) शुभांगी अपराध. कोल्हापुर, महाराष्ट्र 8788765550 / 9823582795

12) श्री राजेश मांजरे निवासी। नागपुर, महाराष्ट्र 9028570555 / 8668627060

११) श्री. राजीव डी. चौधरी,

नागपुर महाराष्ट्र 9823045684

12) श्री हरीश सिंह सिसोदिया नागपुर महाराष्ट्र 9823017856 /

13) श्री एसएन पाटिल धारवाड़ कर्नाटका 9620375157

- 14) श्री भानु प्रताप सिंह अलीगढ़ यूपी 7500396396
15) श्री सुकुमार मंडल कोलकाता 9836487700
15) श्री अनिर्बन मंडल कोलकाता 9735372103
16) श्री विवेक कुशवाहा सिंगरौली मध्य प्रदेश 9026398037

विषय :

उक्त आवेदन उपरोक्त नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के निदेशक मंडल एवं उनकी परिचालक टीम ऑपरेशन टीम के सदस्य और अन्य टीम लीडर के खिलाफ वित्तीय अपराध के लिए आपराधिक कार्रवाई करने के संबंध में है।

महोदय

हम आवेदक हमारे नाम हम इस शिकायत के नीचे अपने पूरे स्वाक्षरी के साथ दें रहे हैं।

हम आवेदन के ऊपर दिए गए कंपनी एवं कंपनी के सभी लीडर्स के खिलाफ आर्थिक अपराध के बारे में शिकायत दर्ज करना चाहते हैं। और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके उपरोक्त कंपनी को भारत में आर्थिक अपराध करने के लिए बंद करना चाहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार द बैंक और सिस्कोम यह दोनों कंपनियां यूके स्कॉटलैंड में रजिस्टर्ड है ऐसा इस कंपनी के लीडर्स बताते हैं यह कंपनी 2015 में यूके स्कॉटलैंड में पंजीकृत की गई और यह एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जो की भारत के अनेक शहरों में लाखों लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है यह डिजिटल लॉकर यानी की क्लाउड के नाम पर और इसमें एक क्लब भी चलाया जाता है जो सिर्फ मनी सर्कुलेशन के आधार पर चलता है। लोगों से 44 पाउंड से लेकर 4500 पाउंड तक पैसा ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से लेती है। और समय-समय पर इस राशि में वह बदलाव भी करते रहते हैं। फिर उपरोक्त जो नाम हमने ऊपर दिए हैं उनके माध्यम से यह लोग वह पैसा उस कंपनी के अकाउंट में भेजते हैं और बताते हैं कि यहां पर आपको क्लाउड स्टोरेज दिया जाएगा और यदि आप इसके बारे में जितने ज्यादा लोगों को बताएं और उनको भी यह क्लाउड बेचेंगे तो आपको अनेकों टाइप की इनकम इसमें मिलेगी साथ ही साथ लाखों का सोना करोड़ों की गाड़ियां जैसे की मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू यहां तक की रोल्स-रॉयस और अनेक विदेशी टूर्स दिए जाएंगे ऐसे अनेकों लालच देकर उनसे पैसा लिया जाता है और यह गोरख धंधा 2015 से भारत की इस भूमि पर चल रहा है जिसका कोई टैक्स इन्होंने आज तक पेड़ नहीं किया ना ही इनका यहां पर ऑफिस है ऊपर जो नाम हमने दिए हैं वही लोग इस फ्रॉड व्यवसाय को ऑनलाइन जूम, स्काइप, बीट्रिक्स, के माध्यम से मीटिंग करके पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। और उनकी भूमिका इसमें प्रमुख होती है। यह क्लाउड सिस्कोम कंपनी का है ऐसा वे लोगों को बताते हैं लेकिन जानकारी के अनुसार इस कंपनी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सभी मीटिंगों में इन सभी बैठकों में टीम लीडर्स की उपस्थिति में हजारों लोग उनके प्रलोभन का शिकार हो जाते हैं और जैसा कि हमने ऊपर बताया 44 पाउंड से लेकर लाखों पाउंड लेकर लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। जमा किया गया करोड़ों रुपया हवाला के माध्यम से भारत के बाहर भेजा जाता है। महोदय कंपनी के संचालक मंडल श्री रविंद्र देशमुख, श्री राजन पालीवाल एवं श्री राजेश पांडे इनके ऊपर भारत के अनेक शहरों में एफआईआर दर्ज हैं। ऐसे ही अनेक धोखाधड़ी के केसेस इन लोगों पर है जिसकी जानकारी के कुछ पेपर्स हम यहां पर अटैच कर रहे हैं। और पिछले 2011 से यह लोग भारत से फरार है। और जानकारी के अनुसार यह लोग नेपाल से अपना यह पूरा गोरख धंधा चला रहे हैं। और उनके लोकेशन के बारे में, श्री अख्तर मंडल, दीपक महाजन, संजीव कटरे और हरीश सिंह सिसोदिया को पूरी जानकारी है।

उपरोक्त संचालक मंडल ने इससे पहले भी ऐसे ही कुछ कंपनियां चला कर लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी की और भारत से भाग गए और उनके ऊपर आपराधिक जांच के मामले दर्ज है। द बैंक और सिस्कोम के माध्यम से इन्होंने 5000 करोड़ से अधिक रूपयों का लेनदेन किया है और वह सारा पैसा हवाला के माध्यम से गुजरात के श्री विनय प्रजापति के द्वारा एवं श्री भानु प्रताप सिंह अलीगढ़ के द्वारा नेपाल भेज दिया जाता है। इससे पहले कई शिकायतें इनके खिलाफ अनेक राज्यों में दर्ज कराई गई लेकिन, श्री हरीश सिंह सिसोदिया नागपुर के माध्यम से पुलिस विभाग के अधिकारियों को पैसों का प्रलोभन देकर या फिर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी देकर वह सभी मामले

निपटाए जाते हैं। हरीश सिंह सिसोदिया अपने पावर के माध्यम से महिलाओं का शोषण करता है। अनेक महिलाएं हैं जो उनसे ग्रसित हैं लेकिन डर के कारण वह सामने आना नहीं चाहती। श्री विनय और ध्रुव प्रजापति इस गोरख धंधे में पैसा लगाने वाले परिवारों से भी मुलाकात करके उनको डरा धमका के और लालच देखें उनसे यह मनी सरकुलेशन का गलत काम करवाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं इन सभी के ऊपर जल्द से जल्द आपराधिक कार्रवाई कर इन सभी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम, समाज को न्याय दिलाने का काम पुलिस और सरकार के माध्यम से होना चाहिए। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि जब भी आप कार्रवाई करेंगे इन सभी लीडर्स के पास के मोबाइल फोन्स और उनके लैपटॉप्स जप्त कराए जाएं वहां पर सभी जानकारी आपको मिलेगी एवं आईपी एड्रेस के जरिए नेपाल में बैठे वह तीनों महाठग भी पकड़े जाएंगे और यह होना जरूरी है यही हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।

हम शिकायतकर्ताओं के नाम इस प्रकार हैं।

- 1) महिंद्रा पिपरोटर
- 2) जगदीश प्रजापति
- 3) नरेंद्र पटेल
- 4) रमणीक भाई
- 5) कमलेश व्यास
- 6) अशोक दूधिया
- 7) अब्दुल सत्तार वोहरा
- 8) रामजी खंडर
- 9) नार्गेन्द्र ठाकुर

प्रतिलिपि

* पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम अहमदाबाद

* कमिश्नर ऑफ़ पुलिस अहमदाबाद

* मुख्य पुलिस आयुक्त गुजरात

* गृहमंत्री गुजरात सरकार

* गृहमंत्री भारत सरकार

*

* प्रिंट मीडिया

*

* इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

*